





# फर्ड अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

तगाराम बनाम सखनी देवी

किस्म मुकदमा..... 2103/24..... मुकदमा नम्बर..... 35...../2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/24	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री मोहन सिंह सोहन..... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... 251A..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... 15/3/24..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
15/03/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठालीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इरतमा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 18/03/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
18/03/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरोक्त वादी वकील ने Not Press किया है वो बस आवेदन को आगे नमाना नहीं चाहते हैं। अतः बस आवेदन की आश्चर्या बस्ती स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फ्रैन्सल कुमार खेबर दाखिल नफ्तार हो। सिखा से उप हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>NOT PRESS                        (वादी वकील)</p>